23/9/22

पत्रावली देखी। बहुलाल पुत्र . बहादुर के प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि उपरोक्त भूमि के आवंटन का 1/4 हिस्सा है। तथा मौखिक बटवारा किया हुआ। अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में ही है आवंटन होने पर जो कुछ निर्माण किया जायेगा उसमें कुलिक के साथ लाभ होगा। अतः आवंटन के अस्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से रुकवाया जाना प्रार्थनीय है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। आवंटन प्राप्त भूमि के 1/4 हिस्से का बंटवारा तथा उस भूमि का विभाजन नहीं हुआ। आवंटन के यह नहीं बताया की प्रतिवादी क्या नुकसान कर रहा है न ही ऐसा कोई इस्तेमाल किया है। उक्त विवेचना से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] के जारी किया जाता है [illegible] बारदीन होने तक [illegible] प्रतिवादी [illegible] प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:26:35 IST
Reason: SelfAttested

23/9/22